उनवान - पुखराज V/S तहसीलदार, देसूरी
राजस्व अपील सं. 05/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/4/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम घाणेराव के खसरा नं० 1034 में अपीलार्थी का 315 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखली का आदेश पारित किया जब कि अपीलार्थी का मकान खसरा नं० 1036 में स्थित है। अतः सीमांकन करा मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के बेदखली आदेश को निरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपील का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जबकि काफी लम्बा समय हो गया है। अतः रेस्पोंडेंट का जवाब बंद किया जाता है। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है किन्तु अतिक्रमण ख० नं० 1034 में है अथवा नहीं यह निश्चित किया जाना आवश्यक है। अतः आदेश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि० 7-7-20 प्रकरण सं० 10/2020 को बहाल रखा जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि निर्णय की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि अतिक्रमण ख० नं० 1034 में है या नहीं। यदि अतिक्रमण ख० नं० 1034 स्थित नहीं है तो पालना की जावे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पालना हेतु तहसीलदार देसुरी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 12/4/24 (जितेन्द्र कुमार पाण्डे) अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला-पाली	